

ज्ञानेन्द्र सिंह @ राजा सिंह

बनाम

उ.प्र. राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1257 सन् 2025)

07 मार्च 2025

[न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता]

विचारार्थ मुद्दा

क्या अपीलकर्ता की सजा भा.दं.सं. के तहत दर्ज की जानी चाहिए थी या क्या विशेष कानून के प्रावधान, यानी, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 42 ए प्रभावी होगी, जिससे भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एफ) और 376 (2)(आई) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दी गई सजा गलत मानी जाएगी।

हेडनोट्स

सजा/दंड – यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – धारा 42, 42 ए – व्याख्या – दंड संहिता, 1860 – धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) – अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) और धारा.3/4, पोक्सो अधिनियम, के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई – कुछ संशोधनों के साथ उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी गई – अपीलकर्ता की दलील कि चूंकि अपराध ओवरलैपिंग थे, इसलिए पोक्सो अधिनियम विशेष कानून होने के कारण भा.दं.सं. पर अभिभावी होगा और इसलिए, अपीलकर्ता को दोनों अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था:

धारित किया गया: धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई), भा.दं.सं. और धारा 3/4, पोक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि पूरी तरह से उचित है – धारा 42, पोक्सो अधिनियम के तहत, जब कथित कृत्य या चूक भा.दं.सं. और पोक्सो अधिनियम दोनों के तहत अपराध का गठन करती है, तो अधिक मात्रा की सजा निर्धारित करने वाले कानून को लागू करना होगा – धारा 42 और धारा 42A, पोक्सो अधिनियम पूरी तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करता है – धारा 42A, पोक्सो अधिनियम की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि यह सक्षमकारी प्रावधान के दायरे को खत्म कर दे, यानी, धारा 42, पोक्सो अधिनियम की – चूंकि, धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई), भा.दं.सं., धारा 3/4, पोक्सो अधिनियम की तुलना में अधिक सजा का प्रावधान करता है, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा धारा 42, पोक्सो अधिनियम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के संदर्भ में सजा देने के लिए पहले वाले का चुनाव उचित था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देने में गलती की कि अपीलकर्ता को अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी, जैसा कि भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) के तहत उपबंध किया गया है – इन प्रावधानों के तहत यह अनिवार्य नहीं है कि दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए – अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा धारा 3/4, पोक्सो अधिनियम के तहत दी गई आजीवन कारावास की सजा को बहाल किया गया – भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए, आरोपी को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी, बिना इस शर्त के कि अपीलकर्ता के प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास निर्देशानुसार जुर्माना हो। [पैरा 19, 21, 23, 25, 26, 30, 31]

उद्धृत केस लॉ

शिव कुमार @ शिव @ शिवमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य [2023] 4 एससीआर 669: (2023) 9 एससीसी 817; नवास @ मुलानावास बनाम केरल राज्य [2024] 3 एससीआर 913: 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 315; वीरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2022] 4 एससीआर 225; स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य [2008] 11 एससीआर 93: (2008) 13 एससीसी 767 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012; दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973.

कीवर्ड की सूची

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 42, 42 ए; दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई); भा.दं.सं. और पोक्सो अधिनियम दोनों के तहत अपराध; अधिक मात्रा की सजा; आजीवन कारावास की सजा; व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास; दी गई सजा की कठोरता बढ़ा दी गई; आजीवन कारावास की सजा; जीवन अवधि; प्राकृतिक जीवन तक; विशेष कानून; सामान्य कानून।

वाद उद्धृत

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 1257 सन् 2025

जेए सं. 6590 सन् 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 02.08.2019 से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता:

आर. बालासुब्रमण्यम वरिष्ठ अधिवक्ता, संतोष कुमार पाण्डेय, बी. वेंकटरमन, देबासीष मिश्र

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता: आदर्श उपाध्याय, सुश्री पल्लवी कुमारी, शशांक पचौरी

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति मेहता

1. सुना गया।
2. विलम्ब क्षमा किया गया।
3. अनुमति प्रदान की गई।
4. अपीलकर्ता-अभियुक्त¹ की ओर से प्रस्तुत की गई यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय² द्वारा पारित दिनांक 2 अगस्त, 2019 के निर्णय के विरुद्ध है जिसके द्वारा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत जेल अपील सं. 6590 सन् 2016 को खारिज कर दिया गया था।
5. खण्डपीठ ने अपील खारिज करते हुए विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं.2, फ़तेहपुर³ द्वारा सत्र विचारण सं. 06 सन् 2016 उद्भूत मुकदमा अपराध सं. 236 सन् 2015, पुलिस स्टेशन चांदपुर, जिला फ़तेहपुर में दिनांक 16 सितंबर 2016 को पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860⁴ की धारा 376 (2) (एफ) और 376 (2) (आई) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012⁵ की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ रुपये 25,000/-का जुर्माना भी लगाया गया। उपरोक्त जुर्माने का भुगतान न करने पर, यह आदेश दिया गया कि अपीलकर्ता को प्रत्येक मामले में दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।
6. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ राजा सिंह, पीड़िता (पीडब्लू-2) का पिता है, जो घटना के समय लगभग 9 वर्ष की थी। दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को अपीलकर्ता की पत्नी श्रीमती रजनी द्वारा थाना चांदपुर, जिला फतेहपुर में एफआईआर⁶ दर्ज कराई गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप

1 संक्षेप में, अपीलकर्ता

2 एतस्मिनपश्चात् उच्च न्यायालय के रूप में संदर्भित

3 एतस्मिनपश्चात् विचारण न्यायालय के रूप में संदर्भित

4 एतस्मिनपश्चात् भा.दं.सं. के रूप में संदर्भित

5 एतस्मिनपश्चात् पाक्सो अधिनियम के रूप में संदर्भित

6 (प्रदर्श क-1) एफआईआर मुकदमा अपराध सं. 236 सन् 2015

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लगाया गया कि वह लगभग दो महीने पहले अपने सबसे छोटे बेटे कृष्णा, उम्र लगभग 2 वर्ष के साथ अपने मायके चली गई थी, तथा अपनी नाबालिग बेटी, पीड़िता, उम्र लगभग 9 वर्ष, तथा बेटे विष्णु, उम्र लगभग 4 वर्ष को अपने पति, अर्थात् अपीलकर्ता की देखरेख में अपने ससुराल में छोड़ गई थी। 22 अक्टूबर, 2015 को लगभग 8:00 बजे, अपीलकर्ता ने नाबालिग पीड़िता (पीडब्लू-2) को बहला-फुसलाकर छत पर ले गया और बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया। उसे धमकाकर छत पर ही रोक लिया गया। नाबालिग पीड़िता सुबह छत से नीचे आई और अपने दादा राम नरेश सिंह (पीडब्लू-3) को पूरी घटना बताई, जिसने बदले में, सूचनादाता को घटना के बारे में टेलीफोन पर सूचित किया। घटना के बाद अपीलकर्ता फरार हो गया। घटना के कारण सूचनादाता (पीडब्लू-1) भयभीत हो गई और अपने ससुराल नहीं गई। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता रणजीत सिंह और ससुर राम नरेश सिंह (पीडब्लू-3) के साथ-साथ पीड़िता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर⁷ दर्ज कराई। एफआईआर में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आग्रह किया गया कि पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच कराई जाए। एफआईआर में यह भी कहा गया कि रिपोर्ट दर्ज कराने से एक दिन पहले सूचनादाता ने जिला मुख्यालय फतेहपुर से संपर्क किया था, जहां से उसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना चांदपुर से संपर्क करने के लिए भेजा गया था।

7. विवेचना राजेश कुमार सिंह (पीडब्लू-7), विवेचनाधिकारी (आई.ओ.) द्वारा की गई। नाबालिग पीड़िता का डॉ. मनीषा शुक्ला (पीडब्लू-4) द्वारा मेडिकल परीक्षण किया गया, जिन्होंने बताया कि पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। आंतरिक जांच में, पीड़िता की योनि में लेबिया माइनोरा पर लालिमा देखी गई और उसकी हाइमन बरकरार थी। नाबालिग पीड़िता के मौखिक, योनि, वल्वा और गुदा से फोरेंसिक सामग्री एकत्र की गई, स्लाइड तैयार की गई और पैथोलॉजिकल जांच, डीएनए मैपिंग और शुक्राणुओं की उपस्थिति की जांच के लिए भेजा गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, नक्शा नजरी तैयार किया गया और तदनुसार, अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया।

8. स्कूल से जन्मतिथि का प्रमाण पत्र लिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973⁸ की धारा 164 के तहत बच्ची की जांच की गई, जिसमें उसने अपीलकर्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न का जोरदार आरोप लगाया।

9. जांच पूरी हो गई है और भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) और पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4/5 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ विचारण न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया है। विचारण न्यायालय ने उक्त अपराधों के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए, जिसने दोषी न होने की दलील दी और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष द्वारा अपने साक्ष्य में 9 गवाहों का परीक्षण कराया गया और 8 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के बाद, अपीलकर्ता से धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत पूछताछ की गई और अभियोजन पक्ष के मामले में आने वाले आरोपों का सामना कराया गया, जिसे अपीलकर्ता ने अस्वीकार कर दिया और दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने कहा कि उसने पहले अपनी पत्नी, यहां सूचनादाता और अपने पिता (पीडब्लू-3) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

7 उपरोक्त नोट 4

8 एतस्मिन्पश्चात् दं.प्र.सं. के रूप में संदर्भित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. बचाव पक्ष के अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और ऊपर बताए अनुसार सजा सुनाई।⁹ अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को उच्च न्यायालय ने 2 अगस्त, 2019 के फैसले के तहत खारिज कर दिया, जिसे इस अपील में विशेष अनुमति द्वारा चुनौती दी गई है।

11. विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते समय, इस न्यायालय द्वारा 2 सितंबर, 2024 के आदेश के तहत सजा के प्रश्न तक सीमित नोटिस जारी किया गया था।

12. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यम ने एकमात्र दलील पेश करते हुए कहा कि विचारण न्यायालय को अपीलकर्ता को धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए था क्योंकि कथित कृत्यों को दोनों श्रेणियों के कानूनों, यानी सामान्य कानूनों, यानी भा.दं.सं., और साथ ही विशेष कानून, यानी पोक्सो अधिनियम में अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। चूंकि अपराध ओवरलैपिंग हैं, इसलिए विशेष कानून सामान्य कानून पर अभिभावी होगा और इसलिए, दोनों अपराधों के लिए अपीलकर्ता की सजा विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज नहीं की जा सकती थी। उन्होंने पोक्सो अधिनियम की धारा 42 ए का सहारा लिया और आग्रह किया कि उक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि पोक्सो अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून का अपमान नहीं करते हैं और पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों का असंगतता की सीमा तक किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव पड़ता है।

13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यम ने आगे निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने सजा के खिलाफ अपील में विचारण न्यायालय के फैसले को संशोधित किया है और सजा की कठोरता को यह निर्देश देकर बढ़ा दिया है कि अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) के तहत अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी और पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अलग से सजा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि सजा बढ़ाने के लिए कोई अपील न होने पर, अपीलकर्ता द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील में उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता को दी गई सजा की कठोरता को नहीं बढ़ाना चाहिए था और इस हद तक, उच्च न्यायालय का निर्णय अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

14. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का जोरदार और जोरदार विरोध किया। उन्होंने आग्रह किया कि अपीलकर्ता को एक निंदनीय कृत्य और अपनी ही नाबालिग बेटी पर जबरन यौन उत्पीड़न करने के जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और इस तरह, उच्च न्यायालय¹⁰ द्वारा अपीलकर्ता को भा.दं. सं. की धारा 376(2)(एफ) और 376(2) (आई) के तहत बढ़ी हुई सजा देना पूरी तरह से उचित था। इन आधारों पर, उन्होंने इस न्यायालय से अपील

9 इस निर्णय का पैरा 5

10 द्वारा आदेश दिनांकित 02.08.2019, जेल अपील सं. 6590 सन् 2016

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को खारिज करने और उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने का अनुरोध किया।

15. हमने बार में प्रस्तुत किए गए दलीलों का अध्ययन किया है तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अध्ययन किया है।

16. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यम ने अपीलकर्ता के अपराध को चुनौती नहीं दी है, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया था तथा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, लेकिन इसके बावजूद, हमने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की है तथा पाया है कि कथित अपराधों के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को उचित ठहराने वाले पूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं।

17. एकमात्र विवादास्पद प्रश्न, जिस पर इस प्रकार निर्णय की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अपीलकर्ता की दोषसिद्धि भा.दं.सं. के तहत दर्ज की जानी चाहिए थी या क्या विशेष कानून के प्रावधान, अर्थात् पोक्सो अधिनियम की धारा 42 ए, प्रभावी होंगे, जिससे भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एफ) तथा 376(2)(आई) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दी गई सजा निरस्त हो जाएगी।

18. इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए पोक्सो अधिनियम की धाराएं 42 और 42 ए प्रासंगिक होंगी तथा इन्हें त्वरित संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: –

“42. वैकल्पिक दंड— जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के तहत और साथ ही धारा 166 ए, 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी, 370, 370 ए, 375, 376, [376 ए, 376 एबी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डीए, 376 डीबी], [376 ई, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 67 बी] के तहत दंडनीय अपराध बनता है, तो, वर्तमान में लागू किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी केवल इस अधिनियम के तहत या भारतीय दंड संहिता के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें अधिक मात्रा के दंड का प्रावधान है।

42 ए. ऐसे कार्य जो किसी अन्य कानून के उल्लंघन में न किया गया हो— इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होगा, न कि उसके प्रतिकूल होगा और किसी विसंगति की स्थिति में, इस अधिनियम के प्रावधानों का किसी ऐसे कानून के प्रावधानों पर विसंगति की सीमा तक अधिभावी प्रभाव होगा।

19. पोक्सो अधिनियम की धारा 42 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब कथित कृत्य या लोप भा.दं.सं. और पोक्सो अधिनियम दोनों के तहत अपराध बनते हैं, तो उस स्थिति में अधिक दंड का प्रावधान करने वाले कानून को लागू करना होगा।

20. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यम ने यह तर्क देकर अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया कि पोक्सो अधिनियम की धारा 42 ए में यह प्रावधान है कि जहां पोक्सो अधिनियम और किसी अन्य कानून के प्रावधानों के बीच कोई विसंगति हो, वहां विशेष कानून के प्रावधानों का उस विसंगति की सीमा तक प्रभावकारी प्रभाव होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध में आजीवन *अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

कारावास की सजा नहीं है, जिसका अर्थ है व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, इसलिए प्रदान की गई सजा में विसंगति को देखते हुए अभियुक्त को केवल उक्त प्रावधान के तहत दंडित किया जा सकता था, न कि भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) के तहत।

21. हमें लगता है कि उक्त दलील में मेरिट नहीं है। पहली नजर में, धारा 42 और धारा 42 ए के कार्यक्षेत्र पूरी तरह से अलग-अलग हैं। धारा 42 विशेष रूप से दंड की मात्रा से संबंधित है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि जब कोई विशेष कार्य या लोप पोक्सो अधिनियम के तहत और भा.दं.सं. या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत अपराध बनती है, तो उस अपराध के लिए दोषी पाए गए अपराधी को पोक्सो अधिनियम या भा.दं.सं. के प्रावधानों के तहत जो भी अधिक मात्रा की सजा प्रदान करता है, उसके तहत सजा दी जाएगी।

22. दूसरी ओर, पोक्सो अधिनियम की धारा 42 ए प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित है और पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी अन्य कानून पर एक अधिभावी प्रभाव देती है, जहां दो अधिनियम एक दूसरे के साथ असंगत हैं। इसलिए, पोक्सो अधिनियम की धारा 42 ए के प्रावधानों की किसी भी तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती है, ताकि सक्षमकारी प्रावधान, यानी पोक्सो अधिनियम की धारा 42 के दायरे और विस्तार को खत्म किया जा सके।

23. परिणामस्वरूप, हमारा मानना है कि भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता की सजा पूरी तरह से उचित है। हालांकि, हमें लगता है कि उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देते हुए गलती की है कि अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) के तहत अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी।

24. हम ध्यान दें कि उक्त निर्देश अपीलकर्ता द्वारा दायर दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में पारित किया गया था। धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) के तहत निम्नलिखित दंडनीय हैं:—

“376. बलात्कार के लिए दंड— (1) जो कोई उपधारा (2) में दिए गए मामलों को छोड़कर बलात्कार करेगा, उसे इस प्रकार के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि [दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माना भी देना होगा]।

(2) जो कोई,—

(ए)–(ई)...

(एफ) महिला का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक, या उसके प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में कोई व्यक्ति, ऐसी महिला से बलात्कार करता है; या

(जी)–(एच)...

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(आई)¹¹ सहमति देने में असमर्थ महिला से बलात्कार करता है; या उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा, और जुर्माना भी देना होगा।”

(प्रभाव वर्धित)

25. इस प्रकार, इस प्रावधान के तहत, न्यायालयों को न्यूनतम 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास की सजा देने का विवेकाधिकार दिया गया है। जहां न्यायालय के विवेकाधिकार में दी गई सजा आजीवन कारावास है, वहीं इसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा। इसलिए, कानून का कोई आदेश नहीं है कि इन प्रावधानों के तहत, दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए।

26. हालांकि, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। चूंकि, भा.दं.सं. की उक्त धाराएं पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 की तुलना में अधिक सजा का प्रावधान करती हैं, इसलिए पोक्सो अधिनियम की धारा 42 के अनुसार सजा देने का विचारण न्यायालय का चुनाव उचित था। हालांकि, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या आजीवन कारावास, जिसका अर्थ व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास है, का फैसला मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित था। इस न्यायालय ने **शिव कुमार @ शिव @ शिवमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य**¹² के मामले में निम्न प्रकार से अवधारित किया:—

“14. इसलिए, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामले में भी जहां मृत्युदंड नहीं दिया गया है या प्रस्तावित नहीं है, संवैधानिक न्यायालय हमेशा संशोधित या निश्चित अवधि की सजा देने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, यह निर्देश देकर कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में “द्वितीयतः” द्वारा परिकल्पित आजीवन कारावास की सजा चौदह वर्ष से अधिक की निश्चित अवधि की होगी, उदाहरण के लिए, बीस वर्ष, तीस वर्ष और इसी प्रकार। धारा 433-ए दं.प्र.सं. के अधिदेश के मद्देनजर निर्धारित सजा 14 वर्ष से कम अवधि की नहीं हो सकती है।”

27. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील पर निर्णय करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(आई) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा अपीलकर्ता के शेष प्राकृतिक जीवन तक विस्तारित होगी। यह निर्देश केवल सजा को सजा के प्रावधान की भाषा के अनुरूप रखने के लिए एक स्पष्टीकरण था। फिर भी, तथ्य यह है कि इस स्पष्टीकरण के कारण, दी गई सजा की कठोरता इस हद तक बढ़ गई है कि अपीलकर्ता को अपना शेष प्राकृतिक जीवन बिना किसी जल्दी रिहाई की संभावना के जेल में बिताना होगा।

28. माननीय न्यायमूर्ति श्री के.वी. विश्वनाथन ने इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ की ओर से बोलते हुए **नवस @ मुलानावास बनाम केरल राज्य**¹³ मामले में 14 वर्ष की अवधि से अधिक की सजा के मुद्दे पर विचार

11 खंड (i) निरसित द्वारा अधिनियम 22 सन् 2018 धारा.4. (21-4-2018 से प्रभावी)

12 (2023) 9 SCC 817

13 2024 SCC Online SC 315

किया तथा निम्न प्रकार से निर्णय दिया:-

“17. हमारे सामने प्रश्न यह है कि उचित सजा क्या होनी चाहिए तथा क्या उच्च न्यायालय द्वारा *स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य, (2008) 13 एससीसी 767* मामले को अपना न्यायोचित था तथा क्या यह भी न्यायोचित था कि मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार बिना किसी छूट के 30 वर्ष की सजा निर्धारित करना उचित सजा थी?

25. स्वामी श्रद्धानंद (उपरोक्त), जिसे बाद में भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, (2016) 7 एससीसी 1 के मामले में पुष्टि की गई, ने न्यायाधीश की दुविधा का समाधान किया। अक्सर ऐसा होता है कि एक मामला जो दुर्लभतम श्रेणी से कम होता है, वह ऐसा भी हो सकता है जहां मात्र 14 वर्ष की सजा (आजीवन कारावास के लिए सामान्य मानदंड) बहुत ज्यादा अनुपातहीन और अपर्याप्त हो सकती है। न्यायालय को लग सकता है कि समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मृत्यु दंड उचित नहीं हो सकता है, लेकिन आनुपातिक दंड 14 वर्ष से लेकर बिना किसी छूट के शेष जीवन तक कारावास की अवधि तय करना होगा। स्वामी श्रद्धानंद (उपरोक्त) के मामले में इस मुद्दे पर विचार करते हुए न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति आफताब आलम ने निम्नवत धारित किया :

“92. इस मामले को थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है। सजा सुनाने के मुद्दे के दो पहलू हैं। सजा अत्यधिक और अनावश्यक रूप से कठोर हो सकती है या यह अत्यधिक अनुपातहीन रूप से अपर्याप्त हो सकती है। जब कोई अपीलकर्ता विचारण न्यायालय द्वारा दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मृत्युदंड की सजा लेकर इस न्यायालय में आता है, तो यह न्यायालय, वर्तमान अपील की तरह, पा सकता है कि मामला दुर्लभतम श्रेणी से थोड़ा कम है और मृत्युदंड का समर्थन करने में कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर सकता है। लेकिन साथ ही, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय दृढ़ता से महसूस कर सकता है कि छूट के अधीन आजीवन कारावास की सजा जो सामान्य रूप से 14 वर्ष की अवधि के लिए होती है, अत्यधिक अनुपातहीन और अपर्याप्त होगी। तब न्यायालय को क्या करना चाहिए? यदि न्यायालय का विकल्प केवल दो सजाओं तक सीमित है, एक कारावास की सजा, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, 14 वर्ष से अधिक नहीं और दूसरी मृत्यु, तो न्यायालय खुद को मृत्युदंड का समर्थन करने के लिए प्रेरित पा सकता है। ऐसा तरीका वास्तव में विनाशकारी होगा। कहीं अधिक न्यायसंगत, उचित और सही तरीका यह होगा कि विकल्पों का विस्तार किया जाए और जो वास्तव में कानूनी रूप से न्यायालय का है, उसे अपने हाथ में लिया जाए, यानी 14 साल की कैद और मौत के बीच का बड़ा अंतराल। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि न्यायालय मुख्य रूप से विस्तारित विकल्प का सहारा लेगा क्योंकि मामले के तथ्यों के अनुसार, 14 साल की कैद की सजा किसी भी तरह से सजा नहीं होगी।”

(प्रभाव वर्धित)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

29. **वीरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य** के मामले में, इस न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम के साथ-साथ भा.दं.सं. की धारा 376(2)(i) के तहत अपराधों से जुड़े मामले पर विचार करते हुए आजीवन कारावास को 30 वर्ष की अवधि के वास्तविक कारावास तक सीमित कर दिया। ऐसा करते समय, पीठ ने **स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य**¹⁴ के मामले में इस न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय का सहारा लिया।

30. कानून की उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रकार निर्देश देते हैं कि निचली अदालत के फैसले को बहाल करके और यह निर्देश देकर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी कि पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध के लिए निचली अदालत द्वारा अभियुक्त को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा जाए।

31. भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(i) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए, अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जैसा कि विचारण न्यायालय ने यह शर्त नहीं रखी कि अपीलकर्ता के प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा होगी और 5,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया और चूक होने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी।

32. जुर्माना जमा होने पर पीड़िता को दिया जाएगा।

33. इन शर्तों के तहत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

34. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

वाद का परिणाम: अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

हेडनोट्स द्वारा : दिव्या पांडे

14 (2008) 13 SCC 767

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।